भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3413
7 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

यूनिवर्सल आईवीएफ सेंटर्स में गैर-कानूनी इलाज

3413. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकरः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्वास्थ्य विभाग की जांच के दौरान चंद्रपुर शहर के 'बेबीस्योर' तथा 'इंदिरा आईवीएफ' को संसद द्वारा पारित सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना पंजीकरण के उपचार शुरू करते हुए पाया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में बिना लाइसेंस के आईवीएफ केंद्र संचालित कर जनता के साथ आर्थिक एवं मानसिक छल करने वाली संस्थाओं पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सरकार के पास उपलब्ध तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आधिकारिक पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना अवैध रूप से उपचार प्रारंभ करने वाले ऐसे केन्द्रों का स्थायी रूप से लाइसेंस निरस्त करने तथा उन पर सीधे आपराधिक मामले दर्ज करने के संबंध में राज्य-सरकारों को कठोर दिशा-निर्देश जारी करने का है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार देश के आम नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने के उद्देश्य से सरकार सभी पंजीकृत आईवीएफ केंद्रों के नाम सरकारी डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित करने का है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) महाराष्ट्र राज्य के समुचित प्राधिकारी जोकि एआरटी क्लीनिकों को पंजीकरण प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं, से प्राप्त जानकारी के आधार पर, बेबीश्योर और इंदिरा आईवीएफ क्लीनिक ने क्रमशः 19.01.2026 और 17.02.2026 को पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। अनुमोदन प्रदान करने से पहले अनिवार्य निरीक्षण के दौरान, इन दोनों केंद्रों में कई कमियां पाई गईं। इन दोनों केंद्रों से कमियों को दूर किए जाने तक सभी कार्यों को रोकने के लिए कहा गया । तत्पश्चात बेबीश्योर क्लिनिक ने अदालत में मामला दायर किया और यह मामला वर्तमान में न्यायाधीन है। इंदिरा आईवीएफ क्लीनिक ने निरीक्षण दल द्वारा पाई गई कमियों को दूर कर दिया है और पंजीकरण प्रदान करने से संबंधित मामला राज्य समुचित प्राधिकारी के विचाराधीन है।

(ख) एवं (ग) एआरटी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के प्रावधानों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के समुचित प्राधिकारी के पास है।

एआरटी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 13 में समुचित प्राधिकारी के कृत्य विहित हैं, जिसमें क्लिनिक या बैंक के पंजीकरण को मंजूरी देने, निलंबित करने या रद्द करने और क्लीनिकों/बैंकों द्वारा पूरा किए जाने वाले मानक को लागू करने की शक्ति परिकल्पित की गई है। इसके अलावा, समुचित प्राधिकारियों को इस अधिनियम के प्रावधानों, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है।

इसके अलावा, एआरटी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 15 किसी भी व्यक्ति को सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी शुरू करने के लिए किसी भी क्लिनिक या बैंक की स्थापना करने या किसी भी रूप में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबंधित करती है, जब तक कि ऐसा क्लिनिक या बैंक इस अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत न हो।

इसके अलावा, एआरटी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 34 के तहत उन केंद्रों के लिए दंडात्मक प्रावधान निर्धारित किए गए हैं जो आधिकारिक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पहले अवैध रूप से उपचार शुरू करते हैं।

(घ) राष्ट्रीय एआरटी और सरोगेसी रजिस्ट्री पोर्टल पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समुचित प्राधिकारियों द्वारा अपलोड किए गए सभी पंजीकृत एआरटी क्लीनिकों, एआरटी बैंकों और सरोगेसी क्लीनिकों के आंकड़े https://registry.artsurrogacy.gov.in पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।
